	विविध बैंक प्रकरण सं. 03/2021 (RCMS 2021/8) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी /मुख्य प्रबंधक, श्री निशांत खुराना पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल SASTRA केन्द्र, प्रथम तल मण्डल कार्यालय नजदीक मीरा चौक,श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. मैसर्स चौधरी एग्रो फूड जरिये प्रो. श्रीमती सुनीतादेवी पत्नी श्री अपनदीप तरड़ C/o 151 नई धान मंडी, श्रीगंगानगर 2. श्री अमनदीप तरड़ पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी वार्ड नं 9, नजदीक ओबीसी बैंक (वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक) सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर 3. श्री आदित्य कुमार पुत्र श्री भूप सिंह निवासी मकान नं. 131, नजदीक नेतेवाला, 17 जीजी, श्रीगंगानगर 4. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपीराम निवासी नदजीक गुप्ता मेडिकल स्टोर, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) 5. श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश तरड़ निवासी वार्ड नं 9, नजदीक ओबीसी बैंक (अब पंजाब नेशनल बैंक) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज) 6. श्री सुनील कुमार निवासी 3–एच–16 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर (राज) **<u>11.08.2021</u>** **पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी** बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। **प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था** कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.01.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **मैसर्स चौधरी एग्रो फूड–प्रो. श्रीमती सुनीता देवी, अमनदीप तरड़, आदित्य कुमार, ओम प्रकाश, निर्मला देवी एवं सुनील कुमार** को ऋण सुविधा के रूप में 4,95,00,000/– रूपये (अखरे रूपये चार करोड़ पिचयानवे लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.06.2020 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी आदित्य कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 100, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 69(माप 2330.40 वर्गफुट), [illegible] नं 145, किल्ला नं. 8 व 9, मुरब्बा नं. 69(माप 2289.60 वर्गफुट), प्लॉट नं 163, किल्ला नं. 9, मुरब्बा नं. 69 (माप 2340 वर्गफुट), चक 2 एमएल नाथावाली सीजीआर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, एवं सुनील कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 82, किल्ला नं. 5, मुरब्बा नं. 69 (माप 1800.00 वर्गफुट), और श्रीमती निर्मला देवी की व्यवसायिक संपत्ति गोदाम ई–254, एग्रो फूड पार्क,(माप 3600 वर्गमीटर) उद्योग विहार, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.06.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.06.2020 को 4,26,45,210/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.08.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किये गये, जिसकी प्रतियां पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिसों की तामील के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन टैक पत्रावली में उपलब्ध है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई उक्त संपत्तियों** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन [illegible] प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स [illegible] देवी, अमनदीप तरड़, आदित्य कुमार, ओम[illegible] एवं सुनील कुमार** को 4,95,00,000/– लाख रूपये (अखरे रूपये चार करोड़ [illegible]चयानवे लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 30.06.2015 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी आदित्य कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 100, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 69(माप 2330.40 वर्गफुट), प्लॉट नं 145, किल्ला नं. 8 व 9, मुरब्बा नं. 69(माप 2289.60 वर्गफुट), प्लॉट नं 163, किल्ला नं. 9, मुरब्बा नं. 69 (माप 2340 वर्गफुट), चक 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, एवं सुनील कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 82, किल्ला नं. 5, मुरब्बा नं. 69 (माप 1800.00 वर्गफुट), और श्रीमती निर्मला देवी की व्यवसायिक संपत्ति गोदाम ई–254, एग्रो फूड पार्क,(माप 3600 वर्गमीटर) उद्योग विहार, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **30.06.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 17.08.2020 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस की पावती के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस तामील होना माना जाना उचित है

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋ[illegible] पर धा[illegible] नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर होनी [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:33 IST
Reason: SelfAttested

जहां त[illegible] [illegible] बंधक रखी गई **अप्रार्थी आदित्य कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 100, [illegible]ला नं. 16, मुरब्बा नं. 69(माप 2330.40 वर्गफुट), प्लॉट नं 145, किल्ला नं. 8 व 9, मुरब्बा नं. 69(माप 2289.60 वर्गफुट)**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्लॉट नं 163, किल्ला नं. 9, मुरब्बा नं. 69 (माप 2340 वर्गफुट), चक 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, एवं सुनील कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 82, किल्ला नं. 5, मुरब्बा नं. 69 (माप 1800.00 वर्गफुट), और श्रीमती निर्मला देवी की व्यवसायिक संपत्ति गोदाम ई–254, एग्रो फूड पार्क,(माप 3600 वर्गमीटर) उद्योग विहार, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.08.2020 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.08.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 17.08.2020 को जारी किये गये है, परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और [illegible] के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत [illegible] है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **अप्रार्थी आदित्य कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 100, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 69(माप 2330.40 वर्गफुट), प्लॉट नं 145, किल्ला नं. 8 व 9, मुरब्बा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 69 (माप 2289.60 वर्गफुट), प्लॉट नं 163, किल्ला नं. 9, मुरब्बा नं. 69 (माप 2340 वर्गफुट), चक 2 एमएल नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर, एवं सुनील कुमार की रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं 82, किल्ला नं. 5, मुरब्बा नं. 69 (माप 1800.00 वर्गफुट), और श्रीमती निर्मला देवी की व्यवसायिक संपत्ति गोदाम ई–254, एग्रो फूड पार्क,(माप 3600 वर्गमीटर) उद्योग विहार, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सभी संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2021 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त संपतिया का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] 2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:11:33 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर